राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 585 /241/NULM/तीन/2001(EST&P)Vol-IV दिनांक 11-8-16

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण
डूडा, उ0प्र0।
2. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक**
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0।

विषयः <u>EST&P के अन्तर्गत STP को द्वितीय किश्त भुगतान किये जाने हेतु संशोधित प्रपत्र के संबंध में।</u>

महोदया/महोदय,

DAY-NULM के घटक EST&P के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STP) को भुगतान किये जाने वाली लागत में 80%(30%+50%) प्रशिक्षण लागत है एवं अवशेष 20% प्लेसमेंट के साथ 12 माह तक ट्रेकिंग किये जाने की लागत है।

अतः उपरोक्तानुसार 80% प्रशिक्षण लागत के सापेक्ष STP को प्रथम किश्त 80% का 30% (15 दिन की अटेन्डेंस में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की अनिवार्य रूप से 10 दिन की अटेन्डेंस के उपरान्त देय होगा) और द्वितीय किश्त असेसमेंट के पश्चात बैचवार आगणन में बैच के अन्तर्गत परीक्षा में उपस्थित/उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की लागत का 80% में से बैच के लिए पूर्व भुगतानित धनराशि (30%) एवं रू0 800/– प्रति प्रशिक्षार्थी असेसमेंट लागत की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

STP को दी जाने वाली प्रथम किश्त (80% का 30%) से असेसमेंट लागत प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 800 काट कर भुगतान किया जाने के पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके है। प्रथम किश्त से प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 800 की रोकी गई धनराशि से असेसिंग बाडी को ससमय भुगतान किया जायेगा।

जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अवधि के 85% से कम है उन प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान देय नही होगा। अतः उन प्रशिक्षणार्थियों की धनराशि की मांग नही की जाये। कॉलम नं0 11 में उत्तीर्ण और 85% अथवा 85% से अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अंकित की जाये। STP को द्वितीय किश्त उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों की भुगतान की जायेगी जो असेसमेंट में उत्तीर्ण हुए है और जिनके प्रमाण पत्र MIS पर अपलोड किये जा चुके है। बैच में अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष पूर्व में जारी 30% की धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त का भुगतान किया जायेगा। पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर SULM से द्वितीय किश्त की मांग की जायेगी साथ ही साथ अनिवार्य रूप से बैचवार रिजल्ट शीट एवं बैच की अटेंडेन्स रिपोर्ट CMMU/DUDA द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
3. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

EST&P के अन्तर्गत धनराशि (द्वितीय किश्त) मांग प्रपत्र (धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	STP का नाम	बैच संख्या (TN no.)	SECTOR कोड	ट्रेड/कोर्स का नाम (कोड सहित)	ट्रेड/कोर्स के घण्टे	लागत श्रेणी (Category)	प्रति प्रशिक्षणार्थी की लागत (कॉलम 6X7)	बैच में कुल प्रशिक्षार्थियों की संख्या	असेसमेंट में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की लागत (कॉलम 8X11)	कुल लागत का 80% (कॉलम 12)	बैच के सापेक्ष भुगतान की गई (रू0 800 को सम्मिलित करते हुए) धनराशि	अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष 30% धनराशि समायोजित करते हुए कुल मांग की जाने वाली/भुगतान की जाने वाली धनराशि
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
कुल लागत														

(आवश्यकतानुसार लाईने बढ़ा लें)

नोट–द्वितीय किश्त की मांग उन्ही प्रशिक्षणार्थियों की जोयगी जो असेसमेंट में उत्तीर्ण हुए है और जिनके प्रमाण पत्र **MIS** पर अपलोड किये जा चुके है। (असेसमेंट में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों हेतु पूर्व में जारी 30% धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त भुगतान की जायेगी)

नोट–जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 85% से कम है परंतु परीक्षा में उत्तीर्ण है उन प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान नही देय होगा अतः उन प्रशिक्षणार्थियों की धनराशि की मांग नही की जाये। कॉलम नं0 11 में उत्तीर्ण और 85% अथवा 85% से अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अंकित की जाये।

1. कालम–14 के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में मांग की जा रही धनराशि–
2. CMMU को पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण–
3. CMMU के पास वर्तमान में उपलब्ध धनराशि–
4. CMMU द्वारा मांग की जा रही कुल धनराशि–